**NOTE FOR PAD**

1. The M/s. Urban Improvement Company Pvt. Ltd. obtained the exemption for grant of license from the Director, Town and Country Planning, Haryana (DTCP) on 05.04.1982 for setting up of a residential plotted colony, namely Green Field Colony over an area measuring 438.04 acres situated in Sector-41, 42 & 43, Faridabad.
2. The Directorate of TCP Haryana videits order circulated bearing memo No. CC-8/ MC/2016/10250 dated 23.05.2016 rejected the application for completion certificate or even part completion certificate of the developer on the ground that the internal services are not as per approved service plan & estimate and the applicant company asked to comply with the terms & conditions of permission dated 05.04.1982. The Directorate of Town and Country Planning, Haryana on 27.02.2018 again rejected the request of the applicant company for issuance of completion certificate. The developer company aggrieved by the order of the Directorate of Town and Country Planning, Haryana, filed CWP No. 6961 of 2019 before Hon’ble High Court, next date in which is 05.10.2023.
3. The Hon’ble Chief Minister, Haryana made an announcement Code No. 10213 dated 07.06.2015 for transfer of Green Field Colony to Municipal Corporation Faridabad and its maintenance. In compliance to this announcement, the Directorate, Town and Country Planning Department, Haryana vide office memo No. CC-8-JE(S)– 2016/26341 dated 01.12.2016 issued directions to transfer this colony to Municipal Corporation Faridabad on as is where is basis. The developer company was directed to transfer the possession of all such road, open spaces, public parks and public health services in Green Field Colony to Municipal Corporation Faridabad on as is where is basis, but the colonizer has not handed over the services to Municipal Corporation Faridabad.
4. The Hon’ble Chief Minister, Haryana in the meeting of District Grievances Committee held on 15.10.2022 directed Municipal Corporation, Faridabad to take over the Green Field Colony. The Commissioner, Municipal Corporation Faridabad vide its order no. MCF/PS/2022/437 dated 17.10.2022 decided to take over Green Field Colony. The colonizer was directed to hand over the possession of all such roads, open spaces, public parks, public health services in this colony to Municipal Corporation, Faridabad. The House of Corporation vide resolution No. 26 dated 19.10.2022 has also passed resolution in favor of this proposal.
5. The Engineering Branch of Municipal Corporation Faridabad has prepared an estimate of Rs. 99,78,13,966/- to complete Internal Development Works (The necessary amount in lieu of deficit Electrical Infrastructure shall be got deposited by the company with the DHBVNL and the company shall submit NOC from the respective department for payment of drinking water and electricity bills etc.).
6. The Resident Welfare Association of Green Field Colony, Faridabad filed a writ petition C.O.A.(SB) 36/2011 and 37/2011 before the Hon’ble Delhi High Court, wherein the Hon’ble Delhi High Court vide order dated 03.06.2011 and 18.11.2011 issued status quo inter-alia restraining the Board of Directors of the developer company to alienate, transfer or part with possession of immovable property of the colonizers of Green Field Colony. The Municipal Corporation Faridabad filed an affidavit and requested theHon’bleDelhi High Court to pass appropriate order regarding maintenance and completion of internal developments work to resolve the grievances of the residents of Green Field Colony. The matter is listed on 04.09.2023. Therefore, the roads in Green Field Colony will be constructed by Municipal Corporation Faridabad as per directions issued by Hon’ble Delhi High Court.
7. Further, in compliance of Hon’ble CM, Haryana Announcement Code No. 10213 to takeover the Green Field Colony, Sector-41, 42 & 43, Faridabad an Memorandum of Understanding (MoU) between Municipal Corporation, Faridabad and developer was approved vide memo dated 19.05.2023 with subject to the conditions. The Commissioner, Municipal Corporation Faridabad vide memo dated 29.05.2023 submitted a request that relaxation may be given in the condition no. 2(a) that “after execution of MOU, Ministry of Corporate Affairs be informed about it.” instead of condition “the MCF will obtain the consent of Directors of the company, appointed by Ministry of Corporate Affairs before execution of Memorandum of Understanding (MoU).” The file has been submitted to Government for re-consideration and decision on the request of Municipal Corporation, Faridabad. After approval/order of the Government and order passed by Hon’ble Delhi High court, further action will be taken accordingly. The matter is subjudice in Hon’ble Delhi High court and listed on 04.09.2023.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

नोट फॉर पैड

1. मैसर्स, अर्बन इम्प्रूवमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 05.04.1982 को निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा से ग्रीन फील्ड नामक आवासीय कॉलोनी क्षेत्रफल 438.08 एकड़, सेक्टर 41, 42 व 43 फरीदाबाद में स्थापित करने के लिए लाइसैंस की प्रक्रिया से छूट प्राप्त की।
2. निदेशालय, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने अपने पत्र क्रमांक सीसी-8/एमसी/2016/10250 दिनांक 23.05.2016 के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र या आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि डेवेलपर द्वारा आवासीय योजना में आंतरिक आधारभूत सेवाएं स्वीकृत सेवा प्लान के अनुसार नहीं है और आवेदक कंपनी को स्वीकृति दिनांक 05.04.1982 के नियमों एवं शर्तो की अनुपालना करने के लिए दिशानिर्देष दिऐ गऐ। निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने 27.02.2018 को कंपनी के पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन को पुनः खारिज कर दिया। नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा के आदेशों के विरूद् कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी नंबर 6961 वर्ष 2019 दायर की, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 05.10.2023 को सूचिबद् है।
3. माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की घोषणा संख्या 10213 दिनांक 07.06.2015 द्वारा ग्रीन फील्ड कॉलोनी को नगर निगम फरीदाबाद को इसके रख रखाव के लिए हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। इस घोषणा की अनुपालना में, निदेशालय, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने अपने कार्यालय पत्र क्रमांक सीसी-8-जेई(एस)-2016/26341 दिनांक 01.12.2016 के द्वारा इस कॉलोनी को जहाँ है जैसा है के आधार पर नगर निगम फरीदाबाद को हस्तांतरित करने के आदेश जारी किऐ जा चुके है। डेवेलपर कंपनी को यह निर्देश भी दिया गया था कि ग्रीन फील्ड कॉलोनी में जहाँ है जैसा है के आधार पर ऐसी सभी सड़कों, खुले स्थानों, सार्वजनिक पार्कों और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कब्ज़ा नगर निगम फ़रीदाबाद को हस्तांतरित किया जाए, लेकिन कंपनी ने नगर निगम फ़रीदाबाद को उपरोक्त सेवाएँ नहीं सौंपी हैं।
4. माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा जिला कष्ट निवारण समिति की आयोजित बैठक दिनांक 15.10.2022 में नगर निगम, फरीदाबाद को ग्रीन फील्ड कॉलोनी को अपने कब्जे में लेने का निर्देश दिया। आयुक्त, नगर निगम फ़रीदाबाद ने अपने आदेश सं. एमसीएफ/पीएस/2022/437 दिनांक 17.10.2022 से ग्रीन फील्ड कॉलोनी को अपने कब्जे में लेने का निर्णय लिया। कंपनी को इस कॉलोनी में ऐसी सभी सड़कों, खुले स्थानों, सार्वजनिक पार्कों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कब्जा नगर निगम, फरीदाबाद को सौंपने का निर्देश दिया गया था। नगर निगम ने सदन मे प्रस्ताव संख्या 26 दिनांक 19.10.2022 द्वारा इस पक्ष में प्रस्ताव भी पारित कर दिया है।
5. नगर निगम फ़रीदाबाद की इंजीनियरिंग शाखा ने आंतरिक आधारभूत विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 99,78,13,966 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया है (विद्युत बुनियादी ढांचे के बदले में आवश्यक राशि कंपनी द्वारा डीएचबीवीएनएल के पास जमा करवानी होगी और कंपनी पीने के पानी और बिजली बिलों आदि के भुगतान के लिए संबंधित विभाग से एनओसी जमा करवाएगी)।
6. ग्रीन फील्ड कॉलोनी की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फ़रीदाबाद ने माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष एक रिट याचिका सी.ओ.ए.(एसबी) 36/2011 और 37/2011 दायर की, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेष दिनांक 03.06.2011 और 18.11.2011 द्वारा डेवलपर कंपनी के निदेशक बोर्ड को ग्रीन फील्ड कॉलोनी के कॉलोनाइजरों की अचल संपत्ति को हस्तांतरित करने, स्थानांतरित करने और कंपनी के कब्जे वाली अचल संपति के अलग करने पर रोक लगाते हुए यथास्थिति रखने के आदेश जारी किए। नगर निगम फ़रीदाबाद ने एक हलफनामा दायर करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से ग्रीन फील्ड कॉलोनी के निवासियों की शिकायतों को हल करने के लिए आंतरिक विकास कार्यों के रखरखाव एवं पूरा करने के संबंध में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। यह मामला 04.09.2023 को सूचीबद्ध है। इसलिए, ग्रीन फील्ड कॉलोनी में सड़कों का निर्माण नगर निगम फरीदाबाद द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार ही किया जाएगा।
7. इसके अलावा, माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा की घोषणा संख्या 10213 के अनुपालना में ग्रीन फील्ड कॉलोनी, सेक्टर-41, 42 और 43, फरीदाबाद को अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद और कंपनी के बीच एक सहमति ज्ञापन प्रारूप (एमओयू) कुछ शर्तों के अधीन दिनांक 19.05.2023 को स्वीकृत किया गया। आयुक्त, नगर निगम फ़रीदाबाद ने पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा अनुरोध किया कि शर्त संख्या 2(ए) कि “नगर निगम फरीदाबादसहमति ज्ञापन प्रारूप के (एमओयू) के निष्पादन से पहले कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कंपनी के निदेशकों की सहमति प्राप्त करेगा की बजाय केवल “एमओयू के निष्पादन के बाद, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को इसके बारे में सूचित किया जाएगा“ के बारे छुट दी जाऐ। इस बारे केस सरकार को पुनर्विचार एवं निर्णय हेतु भेजा गया है। सरकार की स्वीकृति/आदेश तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और 04.09.2023 को सूचीबद्ध है।